मातृभाषा : संस्कृति और अस्मिता की संवाहिका

साहित्य संकाय
त्रिपुरा विश्वविद्यालय

एवं भारतीय भाषा मंच

द्वारा आयोजित दो दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी

10-11 मार्च, 2026

निःशुल्क पंजीकरण

कार्यक्रम स्थल : महाराजा बीर बिक्रम शतवार्षिकी भवन, त्रिपुरा विश्वविद्यालय

त्रिपुरा विश्वविद्यालय

सन् 1976 में कलकत्ता विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर केंद्र के रूप में एक शुरुआत हुई। सन् 1987 में इसे राज्य विश्वविद्यालय के रूप में परिवर्तित किया गया। सन् 2007 में त्रिपुरा विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त हुआ। यह विश्वविद्यालय एक उच्च शिक्षा संस्थान के रूप में 'उत्कृष्टता की खोज' के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु सतत अग्रसर है। विश्वविद्यालय अकादमिक और अनुसंधान गतिविधियों के क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और तकनीकी नवाचार प्रदान करने हेतु कृत संकल्पित है। प्रदूषण मुक्त, रमणीय और सुरम्य परिवेश, युवा और सशक्त मस्तिष्क के पोषण के लिए शैक्षणिक वातावरण प्रदान करता है।

एक पारंपरिक विश्वविद्यालय के रूप में त्रिपुरा विश्वविद्यालय ने राज्य के लोक कलाओं और बहुआयामी सांस्कृतिक परंपराओं की जीवंत विरासत को संरक्षित और पल्लवित करने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ली है। वर्तमान में विश्वविद्यालय में पाँच संकाय, चैवालीस विभाग और चार अध्ययन केंद्र मौजूद हैं। साथ ही दूरस्थ शिक्षा निदेशालय इस राज्य के दूर-दराज के पहाड़ी क्षेत्रों में स्थित सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित वर्गों को शैक्षिक सहायता प्रदान करता है। विश्वविद्यालय की भविष्य की योजनाओं में परिसर का विस्तार और सभी विभागों में आईसीटी सक्षम कक्षाओं की तत्काल स्थापना शामिल है। इसके साथ ही शोधार्थियों, स्नातक एवं परास्नातक के विद्यार्थियों के लिए छात्रावास, बेहतर कैंटीन, अतिथि-गृह, शैक्षिक एवं गैर-शैक्षिक कर्मचारियों के लिए आवास उपलब्ध कराना है। रोजगारपरक पाठ्यक्रम के विस्तार के लिए आधुनिक तकनीकी उपकरणों और पारस्परिक संवादात्मक शिक्षण-अधिगम के लिए मल्टीमीडिया मोड की सुविधा उपलब्ध कराना भी शामिल है। बदलते समय की मांग के अनुरूप विश्वविद्यालय धीरे-धीरे कुशल, सटीक और पर्यावरण के अनुकूल ई-गवर्नेंस में बदल रहा है।

भारतीय भाषा मंच

'भारतीय भाषा मंच' का गठन 20 दिसंबर, 2015 को नई दिल्ली में किया गया। लंबे समय से देश के भीतर और बाहर भारतीय भाषा-प्रेमियों के बीच में भारतीय भाषाओं को समृद्ध करने की दृष्टि से राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय भाषाओं के लिए पूर्णतः समर्पित एक संगठन के गठन की आवश्यकता का अनुभव किया जा रहा था, जिसकी पृष्ठभूमि में भारत के विभिन्न राज्यों में भारतीय भाषा-प्रेमियों के बीच अनेक संवाद और संगोष्ठियाँ हुई, जिनमें गंभीर चर्चा के पश्चात् यह निर्णय हुआ कि राष्ट्रीय स्तर पर 'भारतीय भाषा मंच' का गठन किया जाए, जो भारतीय भाषाओं के हितों की रक्षा और समृद्धि हेतु कार्य करें।

भारतीय भाषाओं के संरक्षण एवं संवर्द्धन हेतु संकल्पबद्ध 'भारतीय भाषा मंच' भारतीय भाषाओं की एकात्मता एवं भारतीय भाषाओं में शिक्षा-व्यवस्था हेतु निरंतर प्रयासरत है। समाज - जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में भारतीय भाषाओं का व्यवहार प्रमुखता से प्रयोग हो, इस दृष्टि से 'भारतीय भाषा मंच' देशभर में सकारात्मक विमर्श खड़ा करने का काम करता है।

कार्यक्रम स्थल

यहाँ क्लिक करें

महाराजा बीर बिक्रम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, त्रिपुरा - 20 किमी

अगरतला रेलवे स्टेशन - 5 किमी

संगोष्ठी के विषय में

भाषा केवल संवाद का सेतु नहीं, बल्कि हमारी सांस्कृतिक पहचान है। ध्यातव्य है कि शिक्षा केवल सूचनाओं का मात्र संग्रह नहीं, बल्कि मनुष्य की अंतर्निहित शक्तियों का विकास है। ज्ञान की कोई सीमा नहीं पर उसका मूल सर्वदा मातृभाषाओं में ही निहित होता है। किसी भी समाज के लिए उसकी मातृभाषा वह मानसिक खुराक है जिसके माध्यम से वह भाषायी ज्ञान संसार को समृद्ध बनाता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति - 2020 भारत की शैक्षिक यात्रा में एक ऐतिहासिक पड़ाव है, जो दशकों से चली आ रही भाषाई जड़ता को तोड़कर भारतीय भाषाओं को उनका सम्मानजनक स्थान दिलाने का मार्ग प्रशस्त करती है।

21 फरवरी का दिन विश्व के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में अंकित है। यह दिन 1952 के उस महान 'भाषा आंदोलन' की याद दिलाता है, जहाँ अपनी मातृभाषा के अस्तित्व की रक्षा के लिए ढाका में छात्रों ने प्राणों की आहुति दी थी। यूनेस्को ने 1999 में इस दिन को वैश्विक स्तर पर मान्यता दी ताकि दुनिया की भाषाई विविधता को अक्षुण्ण रखा जा सके। आज जब हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति - 2020 के संदर्भ में मातृभाषा की चर्चा करते हैं, तो हम उसी वैश्विक चेतना से जुड़ते हैं जो मानती है कि शिक्षा का अधिकार और भाषा का अधिकार अविभाज्य है। यदि शिक्षा ऐसी भाषा में दी जाए जो बच्चे के परिवेश से मेल नहीं खाती, तो वह शिक्षा नहीं बल्कि बौद्धिक दासता का एक रूप है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 'बहुभाषावाद' को बाधा के रूप में नहीं, बल्कि राष्ट्रीय शक्ति के रूप में देखती है। वैज्ञानिक शोधों ने सिद्ध किया है कि 2 से 8 वर्ष की आयु के बीच मस्तिष्क का विकास सबसे तीव्र गति से होता है। इस चरण में यदि बच्चा अपनी मातृभाषा में ज्ञानार्जन करता है, तो उसकी सर्जनात्मक क्षमता विकसित होती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में मातृभाषा में अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान इसी वैज्ञानिक सत्य पर आधारित है।

औपनिवेशिक शिक्षा नीति ने अंग्रेजी को सभ्य और भारतीय भाषाओं को पिछड़ा घोषित कर एक गहरा भाषाई विभाजन पैदा किया था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति इस हीन ग्रंथि को समाप्त कर भारतीय ज्ञान परंपरा को आधुनिक शिक्षा से जोड़ने का प्रयास करती है तथा इस बात पर बल देती है कि भारत में शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होनी चाहिए। अभी तक यह धारणा रही है कि इंजीनियरिंग और चिकित्सा की पढ़ाई केवल अंग्रेजी में ही संभव है। किन्तु रूस, चीन, जापान, इजराईल, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन और पुर्तगाल सहित अनेक यूरोपीय और एशियाई देशों की शिक्षा प्रणाली ने उक्त मिथक को नकार दिया किया है। इन देशों ने अपनी मातृभाषाओं में ज्ञान-विज्ञान और अनुसंधान को शिखर तक पहुँचाया है। अब भारत में भी एआईसीटीई (AICTE) और यूजीसी (UGC) द्वारा भारतीय भाषाओं में पाठ्यक्रम तैयार किए जा रहे हैं। भाषाई बाधाओं को दूर करने के लिए 'भाषिनी' (BHASHINI) जैसे एआई प्लेटफार्म उम्मीद की नई किरण लेकर आ रहे हैं।

त्रिभाषा सूत्र को लागू करने में आने वाली चुनौतियां और अवसर पर विचार करना इस संगोष्ठी का एक और उद्देश्य है। इस विषय पर भी विचार करना है कि कैसे एक राज्य की भाषा को दूसरे राज्य के छात्र सीखकर 'एक भारत श्रेष्ठ भारत' की परिकल्पना को साकार कर सकते हैं? मातृभाषा में शिक्षा का प्रावधान जितना क्रांतिकारी है, उतना ही चुनौतीपूर्ण भी है। यह संगोष्ठी केवल चर्चा का केंद्र नहीं, बल्कि एक कार्य योजना तैयार करने का मंच बने। अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित होने वाली उक्त संगोष्ठी यह सुनिश्चित करेगी कि भविष्य का भारत केवल शिक्षित ही नहीं, बल्कि अपनी संस्कृति और भाषा के प्रति गौरवान्वित भी हो। विचारों के प्रकटीकरण के लिए शब्द तो किसी भाषा से उधार, भीख या दान में लिए जा सकते हैं किंतु संवेदनाओं की जननी तो मातृभाषाएं ही हो सकती हैं। मातृभाषाओं का कोई विकल्प नहीं हो सकता। ये हमारी अस्मिता की संवाहिकाएं हैं। इन्हें 'लोरी' से निकाल कर 'ग्लोरी' तक पहुंचाना है। तभी उक्त संगोष्ठी की उपादेयता सिद्ध होगी।

उप-विषय

- भारतीय ज्ञान परंपरा एवं मातृभाषाएँ.
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के परिप्रेक्ष्य में मातृभाषाएँ
- मातृभाषा में शिक्षण-प्रशिक्षण
- बाल मनोविज्ञान: कोड-स्वीचिंग और कोड-मिक्सिंग
- अनुवाद और मातृभाषाएँ
- भारतीय भाषाओं के साहित्य में संस्कृति और अस्मिता
- भाषाई अस्मिता और बहुभाषावाद
- अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस

उक्त विषय के अलावा मुख्य विषय से संबंधित अन्य उपविषय पर भी शोध पत्र प्रेषित किए जा सकते हैं।

नोट: शोध सारांश प्रेषित करने की अंतिम तिथि 05.03.2026; पूर्ण शोध प्रपत्र प्रेषित करने की अंतिम तिथि 08.03.2026

ईमेल: vishavabandhu@tripurauniv.ac.in **or** alokkumarpandey@tripurauniv.ac.in

संरक्षक

प्रो. श्यामल दास

कुलपति (प्र.)
त्रिपुरा विश्वविद्यालय, त्रिपुरा

संयोजक

प्रो. विनोद कुमार मिश्र

अधिष्ठाता
साहित्य संकाय, त्रिपुरा विश्वविद्यालय

कार्यक्रम सह-संयोजक

प्रो. मिलन रानी जमातिया

अध्यक्ष
हिंदी विभाग

कार्यक्रम सह-संयोजक

डॉ. देवराज पाणिग्रही

अध्यक्ष
संस्कृत विभाग

स्वागत समिति

साहित्य संकाय के सभी विभागाध्यक्ष/ प्रभारी

आवास एवं यातायात समिति

संयोजक : डॉ. पवन कुमार सिंह
डॉ. आलोक कुमार पाण्डेय

आहार समिति

संयोजक : डॉ. शंकर नाथ तिवारी

वित्त समिति

संयोजक : डॉ. काली चरण झा
डॉ. समीर देबबर्मा

मंच संचालन एवं प्रतिवेदन समिति

संयोजक : डॉ. जय साहा

सांस्कृतिक कार्यक्रम समिति

संयोजक : डॉ. परमाश्री दासगुप्त

प्रचार-प्रसार एवं तकनीकी समिति

संयोजक : प्रो. पार्थ सारथी गुप्त
डॉ. विश्व बंधु
डॉ. मनोज कुमार मौर्य

प्रो. पार्थ सारथी गुप्त, डॉ. विश्व बंधु, डॉ. मनोज कुमार मौर्य
+91 82578 91270, +91 95753 51002, +91 95605 15608